वास्तव
6/1

Date
17/02/2021

डॉ० उमेश मल्लिक
इतिहास विभाग

अरब का न्याय व्यवस्था

संगठित न्याय व्यवस्था का अभाव था। स्थान विशेष के अनुसार नियमों को महत्व दिया जाता था। ऐसी अवस्था में अरब जिलाधिकारियों तथा जागीदारों को क्षेत्र-विशेष में अदालत लगाने का अधिकार दिया गया। वे मुकदमों की जाँच-पड़ताल कर निर्णय देते थे। सिन्ध की राजधानी में एक प्रमुख काजी रहता था और अन्य नगरों में छोटे-छोटे काजी न्याय देने का काम करते थे। इस्लामी कानून के आधार पर ही निर्णय लिया जाता था। हिन्दुओं को साधारण अपराध के लिए भी कठोर दण्ड दिया जाता था। चोरी के अपराध में हिन्दुओं को जिन्दा जला दिया जाता था। हिन्दु आपसी झगड़े का फैसला पंचायतों में कर लेते थे।